संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/575

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक :28 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा आप अवगत ही हैं कि वर्तमान मे कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। राज्य में COVID-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए COVID-19 संदिग्ध रोगियों का सैम्पल जांच किया जाना अनिवार्य है।

इसी क्रम मे यह सुनिश्चित किया जाये कि COVID-19 संदिग्ध रोगी का सैम्पल चिन्हित आइसोलेशन फैसिलिटी मे ही लिया जाये। सैम्पल जांच की रिपोर्ट आने तक रोगी को उसी आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जायेगा। यदि रोगी की जांच पॉजिटिव आती है तो उसे उपचार हेतु आइसोलेशन फैसिलिटी अथवा कोरोना वायरस उपचार हेतु चिन्हित चिकित्सालय में ही रखा जाये और यदि रोगी की जांच निगेटिव प्राप्त होती है तो उसे मानको के अनुसार होम क्वारेंटाइन मे रखा जाये।

यह सुनिश्चित किया जाये कि होम क्वारेंटाइन की अवधि पूर्ण होने तक उक्त व्यक्ति द्वारा समस्त दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जा रहा है यदि इसका उल्लघंन किया जाता है तो उस व्यक्ति को शीघ्र क्वारेंटाइन फैसिलिटी मे स्थानान्तरित किया जाये।

कोरोना वायरस संक्रमण को प्रसारित होने से रोकना हम सभी की प्राथमिकता है। हमें यह सुनिश्चित रखना है कि जनस्वास्थ्य हित में कोरोना वायरस संक्रमण को किसी भी अवस्था मे महामारी का रूप लेने से रोका जाये।

भवदीय,
28/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/ तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Scanned by CamScanner